संख्या- 171 /2025/ 1097/चार-2025-1914195

प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: **लखनऊ: दिनांक: 29 मार्च, 2025**

विषय:- महाकुम्भ-2025 के अवसर पर आयोजित प्रदर्शनी से सम्बन्धित उ0प्र0 संगीत नाटक अकादमी, लखनऊ एवं राज्य ललित कला अकादमी, उ0प्र0 लखनऊ से प्राप्त व्यय बीजकों के भुगतान हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 6129/सं0नि0-15(153)/2024-25, दिनांक 26 मार्च, 2025, निदेशक, उ0प्र0 संगीत नाटक अकादमी, लखनऊ के पत्र संख्या- 544/ कुम्भ/2024-25/626 दिनांक 20 मार्च, 2025 एवं निदेशक, राज्य ललित कला अकादमी, लखनऊ के पत्र संख्या-1833/चतुर्थ- 580/2024-25 दिनांक 25 मार्च, 2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उक्त पत्रों में अवगत कराया गया है कि (1) प्रयागराज महाकुम्भ-2025 के अवसर पर उ०प्र० संगीत नाटक अकादमी, लखनऊ द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का कार्य फर्म मे0एस0-3 इन्फोमीडिया प्रा०लि०, लखनऊ से कराया गया था, जिससे सम्बन्धित बिल संख्या-643 दिनांक 19.03.2025 रू0 3,86,568.00 (रूपये तीन लाख छियासी हजार पाँच सौ अड़सठ मात्र) का उपलब्ध कराते हुए प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

(2) उल्लेखनीय है कि शासन के पत्र सं0 3439/ चार-2024-1823487 दिनांक 18 नवम्बर, 2024 द्वारा प्रदत्त बिन्दु-08 पेंटिग/म्यूरल्स आदि प्रदर्शनी में इन्स्टालेशन्स एवं अन्य आर्ट वर्क (ललित कला अकादमी) सैद्धान्तिक प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी, जिसके क्रम में उक्त कार्य ललित कला अकादमी के पत्र संख्या- 1833/चतुर्थ-580/2024-25 दिनांक 24 मार्च, 2025 के द्वारा कराया गया है। इसके सापेक्ष रू0 22,00,000.00 (रूपये बाईस लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु बिल-बाउचर उपलब्ध कराये गये है। उक्त के अतिरिक्त निदेशक, राज्य ललित कला अकादमी उ०प्र०, लखनऊ के पत्र संख्या-1813/चतुर्थ-580/2024-25 दिनांक 17 मार्च, 2025 द्वारा धनराशि रू0 3,89,457.00 (रूपये तीन लाख नवासी चार सौ सत्तावन मात्र) के बिल अर्थात् कुल धनराशि रू0 25,86,568 (रु0 पच्चीस लाख छियासी हजार पांच सौ अड़सठ मात्र) के भुगतान हेतु बिल उपलब्ध कराये हैं।

3. उपर्युक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि- (1) उपरोक्त प्रस्तावानुसार शासन के पत्र सं0 3439/ चार-2024-1823487 दिनांक 18 नवम्बर, 2024 द्वारा बिन्दु-08 में राज्य ललित कला अकादमी, लखनऊ की पेंटिग/म्यूरल्स आदि प्रदर्शनी में इन्स्टालेशन्स एवं अन्य आर्ट वर्क (ललित कला अकादमी) हेतु निर्गत सैद्धान्तिक प्रशासकीय स्वीकृति के सापेक्ष **रू0 22.00 लाख (रू0 बाइस लाख मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति प्रस्तर-4 में उल्लिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है।

(2) इसके साथ ही प्रयागराज महाकुम्भ-2025 के अवसर पर उ०प्र० संगीत नाटक अकादमी, लखनऊ द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी के कार्य हेतु (फर्म मे0एस0-3 इन्फोमीडिया प्रा०लि०, लखनऊ से प्राप्त सम्बन्धित बिल संख्या-643 दिनांक 19.03.2025 के भुगतान के क्रम में) **रू0 3,86,568.00 (रूपये तीन लाख छियासी हजार पाँच सौ अड़सठ मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति प्रस्तर-4 में उल्लिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

4. शर्तें/ प्रतिबन्धः-

(1) स्वीकृत धनराशि के आहरण/ व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) निदेशक, संस्कृति निदेशालय, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य न तो पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान वास्तविक बिल/ बाउचर्स के आधार पर किया जायेगा।

(4) समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(5) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा।

(6) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबंध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा।

(7) संबंधित संस्था/ कलाकार द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल बाउचर के परीक्षणोपरान्त स्वीकृत धनराशि को संस्थान के बैंक खाते में समयान्तर्गत भुगतान कराने की कार्यवाही संस्कृति निदेशालय द्वारा कराते हुए यथाशीघ्र शासन को सूचित किया जायेगा।

(8) उक्त धनराशि निदेशक, संस्कृति निदेशालय के निवर्तन पर है, अतः बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व संस्कृति निदेशालय का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश संस्कृति निदेशालय द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(9) धनराशि व्यय करने में समस्त वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त धनराशि व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-800-अन्य व्यय-14-महाकुम्भ 2025-42-अन्य व्यय मद से वहन किया जायेगा।

6. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4. वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in